कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 581 / FP/UK/Others/34127/2018 देहरादूनः दिनांकः 28 अगस्त, 2019

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–अल्मोड़ा के विकासखण्ड चौखुटिया में पनडुवाखाल से पान गाँव (कुल लम्बाई 29.6 किमी0) तक मोटर मार्ग के किनारे आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.888 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु विन्धिया टेलीलिंक लि0 को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

(Online proposal no- FP/UK/Others/34127/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु उप महाप्रबन्धक, विन्धिया टेलीलिंक लि0, मोहाली, पंजाब के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.888 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी संस्तुति/सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग–निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये निर्देशानुसार राज्य सरकार को ओ0एफ0सी0 के प्रकरणों में वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया है, बशर्ते इस हेतु उपयोग में लाये जा रहे वन भूमि का RoW पूर्व में स्वीकृत किया गया हो। इस प्रकरण में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 745/12–1 (2) दिनांक 21–08–2019 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 756/12–1(2) दिनांक 20–08–2019 की प्रति संलग्न कर संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है, जिसके द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने की तिथि से पूर्व का है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

28/8/19

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/Others/34127/2018 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद–अल्मोड़ा।
6. प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
7. उप महाप्रबन्धक, विन्धिया टेलीलिंक, प्लाट संख्या–ई–237, तीसरी मंजिल, औद्योगिक क्षेत्र, फेज–VIII B, मोहाली, पंजाब।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद–अल्मोड़ा के विकासखण्ड चौखुटिया में पनडुवाखाल से पान गाँव (कुल लम्बाई 29.6 किमी0) तक मोटर मार्ग के किनारे आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु **0.888** हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु विन्धिया टेलीलिंक लि0 को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

(Online proposal no- FP/UK/Others/34127/2018)

जनपद–अल्मोड़ा के विकासखण्ड चौखुटिया में **पनडुवाखाल** से पान गाँव (कुल लम्बाई 29.6 किमी0) तक मोटर मार्ग के किनारे आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.888 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु विन्धिया टेलीलिंक लि0 को 30 वर्षो की लीज पर 0.888 हे0 दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव 00.813 हे0 राजस्व भूमि एवं 0.075 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.888 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण दिया जाना निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–अल्मोड़ा / प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये दिशा निर्देश के कम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

नाम व पदनामः

हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः APCCF & NODAL OFFICER (FC
UTTARAKHAND, DEHRADUN

तिथि : 28/08/2019

स्थान : देहरादून